WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-2 Issue-2
(International Peer-Reviewed E-Journal)
(February 2025)

"घरेलू हिंसा के सामाजिक कारण का समाजशास्त्रीय अध्ययन"

रमेश सिंह

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)

सारांश

महिलाओं के खिलाफ हिंसा संस्कृति, वर्ग, शिक्षा, आय, जातीयता और उम्र की सीमाओं से परे हर देश में मौजूद है। भले ही अधिकांश समाज महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन को अक्सर सांस्कृतिक प्रथाओं और मानदंडों की आड़ में या धार्मिक सिद्धांतों की गलत व्याख्या के माध्यम से मंजूरी दी जाती है। यह मानवाधिकारों के सबसे व्यापक उल्लंघनों में से एक है, जो महिलाओं और लड़कियों की समानता, सुरक्षा, गरिमा, आत्म-सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के उनके अधिकार से इनकार करता है। घरेलू हिंसा सभी समूहों और संस्कृतियों में होती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पति-पत्नी के बीच गलतफहमी, बेवफाई, पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानता, दहेज की मांग, ससुराल वालों का उदासीन रवैया, बांझपन आदि घरेलू हिंसा के सामान्य कारण हैं। सतना शहर से चुने गए 150 उत्तरदाताओं के नमूने के आधार पर यह अध्ययन सतना में ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के सामाजिक कारणों की जाँच करता है। घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला से जानकारी एकत्र करने के लिए एक स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया गया था। वर्तमान अध्ययन के लिए, एक व्याख्यात्मक अनुसंधान डिजाइन का उपयोग किया गया था। यह पेपर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मूल कारण के रूप में लैंगिक असमानता और भेदभाव के बीच संबंध और सतना में ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के सामाजिक कारणों और उनकी प्रकृति की पहचान करने में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

कूट शब्द

सामाजिक कारण, दहेज की मांग, बांझपन, ससुराल वालों का उदासीन रवैया, घरेलू हिंसा।

प्रस्तावना

घरेलू हिंसा की संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा (1993) में अपनाई गई, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को "लिंग आधारित हिंसा के किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित करती है जिसके परिणामस्वरूप या होने की संभावना है" महिलाओं को शारीरिक, यौन, या मनोवैज्ञानिक क्षति या पीड़ा, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकी, जबरदस्ती या स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित करना शामिल है, चाहे वह सार्वजनिक या निजी जीवन में हो। हिंसा के ये सभी रूप शक्ति असमानताओं से जुड़े हैं: महिलाओं और पुरुषों के बीच, साथ ही देशों के भीतर और देशों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानताएं भी। लिंग भेद और पूर्वाग्रह के कारण विश्व की लगभग आधी आबादी महिलाएँ हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में पुरुष प्रधान समाज द्वारा हिंसा की शिकार और शोषित रही हैं। महिलाओं के साथ सबसे दर्दनाक भेदभाव उन पर होने वाली शारीरिक और मानसिक हिंसा है। घरेलू हिंसा की घटना प्रचलित है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में काफी हद तक अदृश्य बनी हुई है। घरेलू हिंसा लिंग आधारित हिंसा का सबसे आम रूप है।

घरेलू हिंसा एक गंभीर समाजशास्त्रीय समस्या है और "महिलाएं पारंपरिक स्थिति में फंसी हुई हैं जो भेदभाव, दमन और असमानता की विशेषता है"। महिलाओं के खिलाफ हिंसा संस्कृति, वर्ग, शिक्षा, आय, जातीयता और उम्र की सीमाओं से परे हर देश में मौजूद है। भले ही अधिकांश समाज महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन को अक्सर सांस्कृतिक प्रथाओं और मानदंडों की आड़ में या धार्मिक सिद्धांतों की गलत व्याख्या के माध्यम से मंजूरी दी जाती है। इसके अलावा, जब उल्लंघन घर के भीतर होता है, जैसा कि अक्सर होता है, तो राज्य और कानून-प्रवर्तन मशीनरी द्वारा प्रदर्शित मौन चुप्पी और निष्क्रियता द्वारा दुर्व्यवहार को प्रभावी ढंग से माफ कर दिया जाता है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक महामारी बनी हुई है जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौन और आर्थिक रूप से मारती है, यातना देती है और निशाना बनाती है। यह मानवाधिकारों के सबसे व्यापक उल्लंघनों में से एक है, जो महिलाओं और लड़कियों की समानता, सुरक्षा, गरिमा, आत्म-सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के उनके अधिकार से इनकार करता है। घरेलू हिंसा सभी समूहों और संस्कृतियों में होती है। यह मौखिक,

भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, वित्तीय, आध्यात्मिक, यौन और शारीरिक शोषण सहित कई रूप ले सकता है। दुनिया भर में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों, नस्लों, धर्मों और राष्ट्रीयताओं की महिलाओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अनुभव किया जाता है। हिंसा का तात्पर्य किसी पुरुष या महिला द्वारा किसी अन्य पुरुष या महिला पर अत्याचार करना है और यह शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक हिंसा के रूप में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। इसमें कम से कम दो लोग शामिल होते हैं - एक हिंसा करने वाला और एक पीड़ित या वह व्यक्ति जिस पर हिंसा की गई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का दुनिया भर में महिलाओं, बच्चों, परिवारों और समुदायों पर विनाशकारी शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इससे पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा सभी वर्गों और समूहों में मौजूद है।

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के कई कारण हैं। ये कारण सामान्य से लेकर विचित्र तक होते हैं जैसे घर का काम ठीक से न करना, फैशनेबल कपड़े पहनना, पति से ईर्ष्या, पति की शराब की लत, दहेज की मांग, पति की प्रेमिका, बिना वजह हंसना, दिन में कई बार बालों में कंघी करना, बातचीत के दौरान ऊंचे स्वर में बोलना, स्वतंत्र और सामाजिक स्वभाव, दोस्तों, बॉयफ्रेंड के साथ घनिष्ठ संबंध, परिवार में बड़ों के साथ अपमानजनक व्यवहार, माता-पिता के घर से पैसे लाने से इनकार, विवाहेतर संबंधों का संदेह, पति का आर्थिक रूप से माता-पिता पर निर्भर होना और एकल व्यक्तित्व कारक। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा करने के लिए कोई भी चीज़ बहाना बन सकती है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की घटना को कोई एक कारक स्पष्ट नहीं करता।

निष्कर्ष

घरेलू हिंसा दुर्व्यवहार का एक बेहद जटिल और वीभत्स रूप है, जो अक्सर परिवार की चारदीवारी के भीतर गहरी जड़ें जमा चुकी शक्ति, गतिशील और सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं के भीतर की जाती है, जो इस दुर्व्यवहार की स्वीकार्यता या पहचान तक की अनुमति नहीं देती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा संस्कृति, वर्ग, शिक्षा, आय, जातीयता और उम्र की सीमाओं से परे हर देश में मौजूद है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक महामारी बनी हुई है जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौन और आर्थिक रूप से मारती है, यातना देती है और निशाना

बनाती है। यह मानवाधिकारों के सबसे व्यापक उल्लंघनों में से एक है, जो महिलाओं और लड़कियों की समानता, सुरक्षा, गरिमा, आत्म-सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के उनके अधिकार से इनकार करता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पुरुषों की शराब पीने की आदत, पति या पत्नी द्वारा बेवफाई/संदिग्ध बेवफाई, पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानता, पदानुक्रमित लिंग संबंध और परिवार में स्थापित परंपराएं और समझ की कमी घरेलू हिंसा के सामान्य सामाजिक कारण हैं। औरत। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के और भी कई कारण हैं। ये कारण सामान्य से लेकर विचित्र तक होते हैं जैसे घर का काम ठीक से न करना, फैशनेबल कपड़े पहनना, पति से ईर्ष्या, दहेज की मांग, पति की प्रेमिका, बिना वजह हंसना, बातचीत के दौरान ऊंचे स्वर, दोस्तों, बॉयफ्रेंड के साथ घनिष्ठ संबंध, बड़ों के साथ अपमानजनक व्यवहार, परिवार आदि। सतना में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के सबसे आम सामाजिक कारण दहेज की मांग, ससुराल वालों का उदासीन रवैया, पति का विवाहेतर संबंध, बांझपन, महिलाओं की वित्तीय समस्याएं/आर्थिक निर्भरता और समझ की कमी हैं।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, ए. (2018)। दहेज प्रथा और सामाजिक संरचना: एक अध्ययन। जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, 42(3), 212-225।
2. अरोड़ा, एस., और बाली, ए. (2019)। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: एक सामाजिक अध्ययन। महिला अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 6(2), 87-99।
3. कुमार, एन., और शर्मा, एस. (2020)। पति-पत्नी के रिश्ते पर आधारित हिंसा के कारण और प्रभाव: एक अध्ययन। समाजशास्त्र समीक्षा, 12(1), 45-57.
4. चौहान, डी., और गोयल, एम. (2017)। लड़कियों और युवा महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा: एक अध्ययन। बाल विकास जर्नल, 23(4), 332-345।
5. जैन, पी., और सिंह, ए. (2018)। आधुनिक भारतीय समाज में महिला हिंसा: सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। महिला अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 5(1), 22-35।
6. देवी, ए., और राजपूत, एस. (2019)। वृद्धावस्था और घरेलू हिंसा की समस्याएँ: एक अध्ययन। जर्नल ऑफ जेरोन्टोलॉजी, 15(2), 112-125